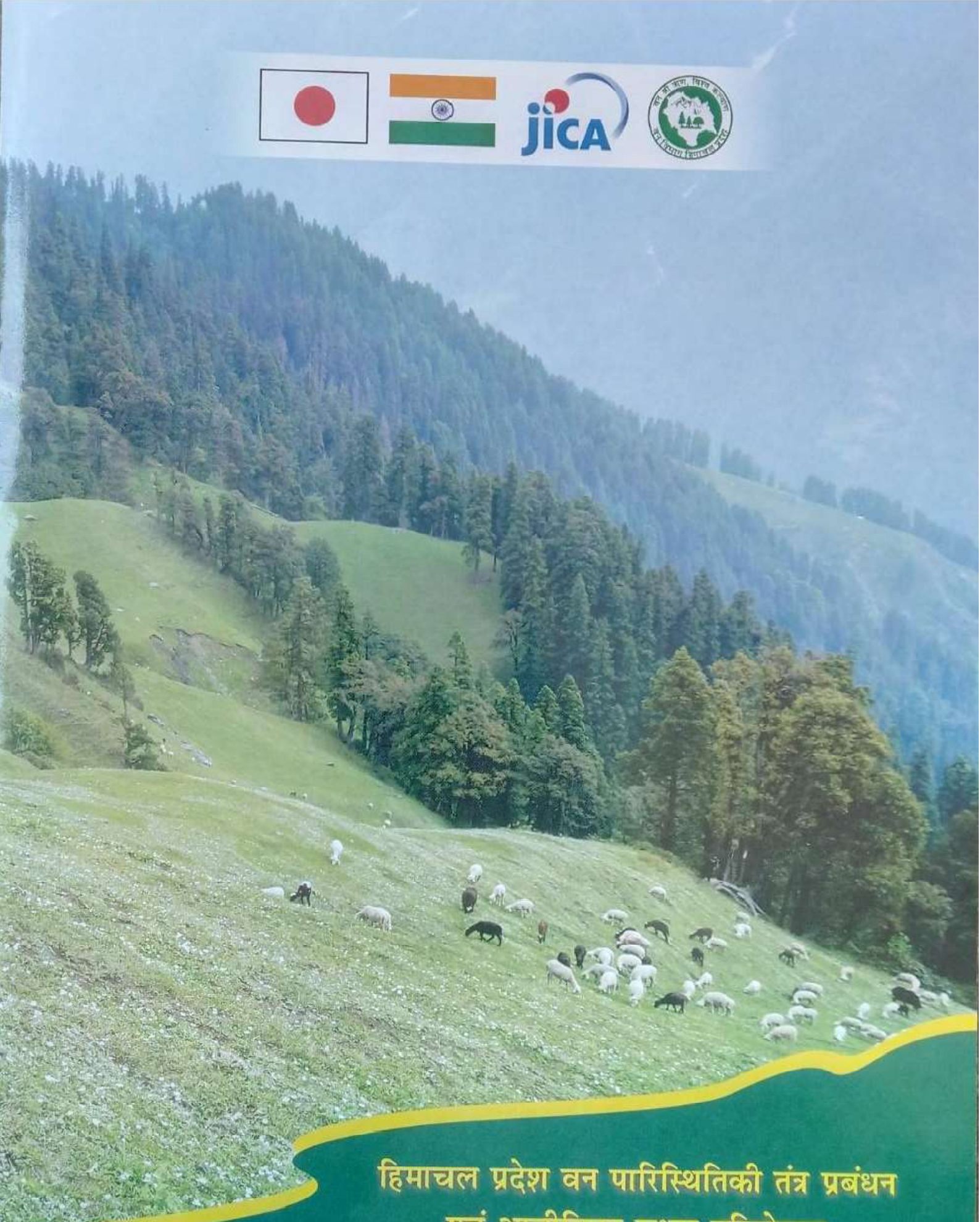

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

(JICA वित्त पोषित)

परियोजना जानकारी पुस्तिका

हिमाचल प्रदेश म परियोजना के अर्न्तगत वन मण्डल, वनपरिक्षेत्र व वन संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र

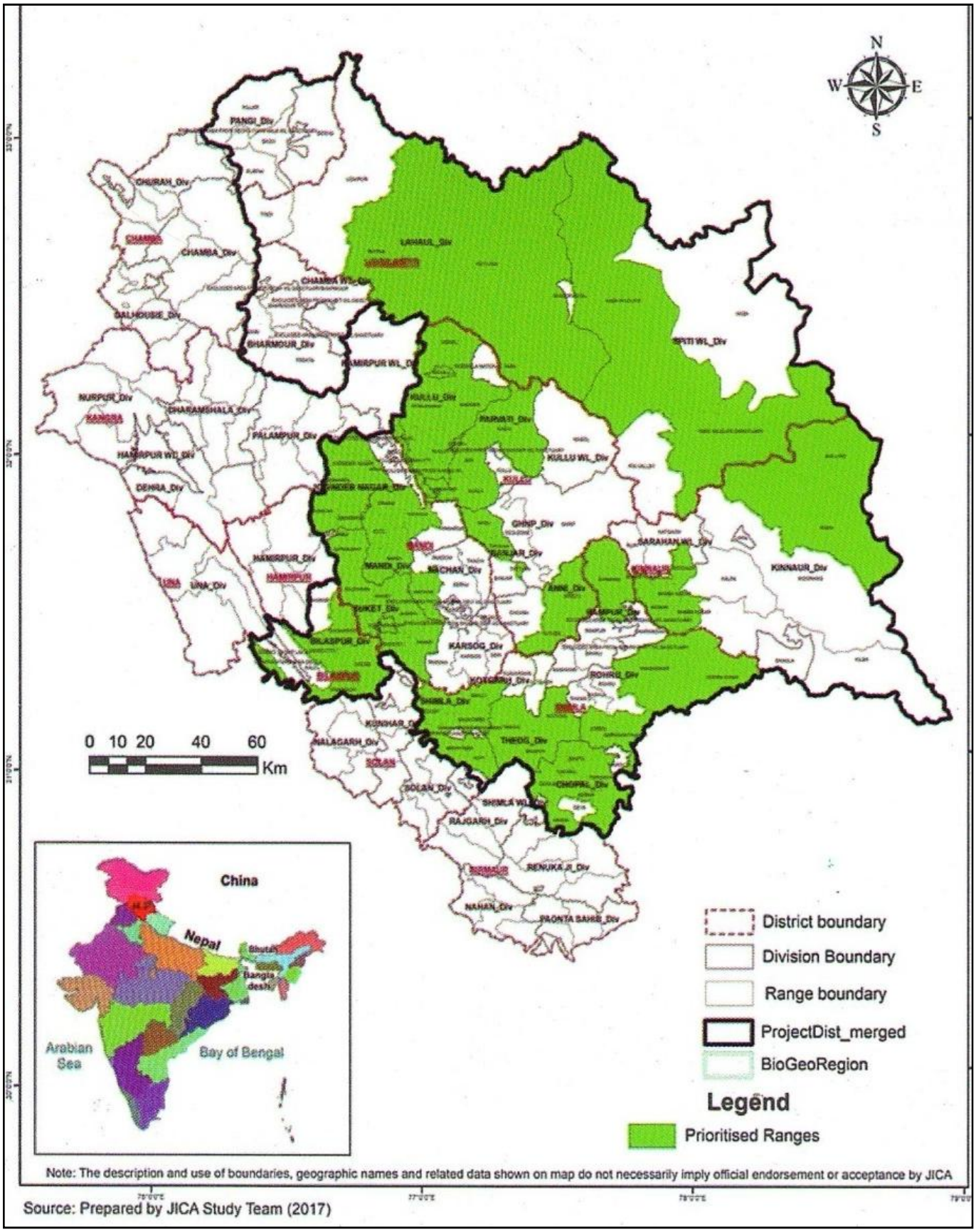

परियोजना के अधीन आने वाले जिलों, वन मण्डलों तथा वन परिक्षेत्रों की सूची

जिला	वन मण्डल	वनपरिक्षेत्र		वन्य जीव मण्डल	वन्य जीव परिक्षेत्र
बिलासपुर	बिलासपुर	सदर	घुमारवीं		
		स्वारघाट	झडुंता		
मण्डी	मण्डी	द्रंग	कोटली		सुन्दरनगर वन्य जीव परिक्षेत्र (बंदली वन्य प्राणी शरण्य
		कटौला	मण्डी		
	नाचन	नाचन			
	सुकेत	बलदवाड़ा	झुंगी		
		कांगू	सरकाघाट		
		जैदेवी	सुकेत		
	जोगिन्द्रनगर	धर्मपुर	लड़भड़ोल		
		जोगिन्द्रनगर	उरला		
		कमलाह			
कुल्लू	कुल्लू	कुल्लू	पतलीकुहल		मनाली वन्य जीव परिक्षेत्र काईस और मनाली वन्य प्राणी शरण्य
		मनाली	नग्गर		
		भुट्टी			
	पार्वती	भून्तर	जरी		
		हुरला			
	बन्जार(सराज)	सैंज	तीर्थन		
	आनी	अरसू	नीथर		
लाहौल स्पीति	लाहौल	पटन	केंलाग	स्पीति वन्य जीव	1. क्जा वन्य जीव परिक्षेत्र (चद्रंताल वन्य प्राणी शरण्य को छाड़कर) 2. ताबो वन्य प्राणी परिक्षेत्र
किन्नौर	किन्नौर	कटगांव	निचार		
		भावानगर	मालिंग		
		पूह			
शिमला	शिमला	कोटी	मशोवरा		
		तारादेवी			
	ठियोग	वलसन	ठियोग		
		कोटखाई			
	रोहडू	जुब्बल	खशधार		
		सरस्वतीनगर	डोडराक्वार		
	चौपाल	बमटा	नेरवा		
		चौपाल	सरैन		
		कंडा	थरोच		
	रामपुर	सराहन			
कुल	**16**	**56**		**2**	**5 वन्य प्राणी वन परिक्षेत्र**

ABBREVIATIONS (लघु रूप)

Sr. No.	Abbreviations	English	हिन्दी में रूपान्तरण
1	ABS	Access and Benefit sharing	पंहुच और लाभ सांझा करना
2	AFR	Annual Fund Requirement	वार्षिक निधि आवश्यकता
3	ANR	Assisted Natural Regeneration	सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्थान
4	BHS	Biodiversity Heritage Sites	जैव विविधता धरोहर स्थल
5	BMC	Biodiversity Management Committee	जैव विविधता प्रबंधन समिति
6	BR	Biological Richness	जैविक बहुलता
7	CAAA	Controller of Aid Accounts & Audit	सहायता खातो और लेखा परीक्षा के नियन्त्रक
8	CBMP	Community Based Management Plan	सामुदाय आधारित प्रबंधन योजना
9	FEMP	Forest Ecosystem Management Plan	वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन योजना
10	CCF	Chief Conservator of Forest	मुख्य अरण्यपाल वन
11	CD&LIP	Community Development & Livelihood Improvement	सामुदायक विकास और आजिविका सुधार योजना
12	WLS	Wild Life Sanctuary	वन्य जीव अभयारण्य
13	CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
14	CIG	Common Interest Group	समान रूचि समुह
15	DMU	Divisional Management Unit	मण्डलीय प्रबंधन इकाई
16	DOF	Department of Finance	वित्त विभाग
17	DSS	Decision Support System	निर्णय समर्थन प्रणाली
18	E/N	Exchange of Note	टिप्पणी का आदान प्रदान
19	EIA	Environment Impact Assessment	पर्यावरण प्रभाव ऑकलन
20	ESAF	Environment and Social Assessment Framework	पर्यावरण और सामाजिक ऑकलन ढांचा
21	SMS	Subject Matter Specialist	विषय विशेषज्ञ
22	FCCU	Forest Circle Coordination unit	वन वृत समन्वय इकाई
23	FCM	Forest Cover Map	वन आवरण मानचित्र
24	FPIC	Free, Prior and informed Consultations	निःशुल्क आवरण और सूचित परामर्श
25	FTM	Forest Type Map	वन प्रकार मानचित्र
26	FTU	Field Technical Unit	पर्यावरण फील्डत कनीकी इकाई
27	GB	Governing Body	प्रशासकीय निकाय
28	GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
29	GOHP	Government of Himachal Pradesh	हिमाचल प्रदेश सरकार
30	GOJ	Government of Japan	जपान सरकार
31	GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
32	HOFF	Head of forest Force	वन विभाग के प्रमुख

Sr. No.	Abbreviations	English	हिन्दी में रूपान्तरण
33	HP	Himachal Pradesh	हिमाचल प्रदेश
34	HPC	High Power Committee	उच्च स्तरीय समिति
35	HPFD	Himachal Pradesh Forest Department	हिमाचल प्रदेश वन विभाग
36	HPSBB	Himachal Pradesh State Biodiversity Board	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
37	ICT	Information and Communication Technology	सूचना और संचार प्रौद्योगि की
38	IFMS	Integrated Forest Management System	एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली
39	IGA	Income Generation Activities	आय उपार्जन गतिविधियां
40	INR	Indian Rupees	भारतीय रूपये
41	ISFR	Indian State of Forest Report	भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन
42	IUCN	International Union for Conservation Nature	प्रकृति संरक्षण के लिए अर्न्तराष्ट्रीय संघ
43	JICA	Japan International Cooperation Agency	जापान अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग एजेसीं
44	KBA	Key Biodiversity Area	प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र
45	L/C	Letter of Credit	प्रशस्तिपत्र
46	L/COM	Letter of Commitment	वचन बद्वता प्रत्र
47	LI	Landscape Integrity	परिदृश्य संम्पूर्णता
48	LIBOR	London Interbank offered Rate	जैव विविधता लंदन इंटरबैंक द्वारा दर की पेशकश
49	M & E	Monitoring of Evaluation	निगरानी और मूल्यांकन
50	MIS	Management Information System	प्रबंधन सूचना प्रणाली
51	MOEF & CC	Ministry of Environment, Forest & Climate Change	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
52	NAV	Net Asset Value	कुल सम्पति मूल्य
53	NR	Natural Regeneration	प्राकृतिक पुन र्उत्पादन
54	NTFP	Non Timber Forest Produce	गैर इमारती लकड़ी उत्पाद
55	O&M	Operation and Maintenance	संचालन और अनुरक्षण
56	ODA	Official Development Assistance	अधिकारिक विकास सहायता
57	PA	Protected Area	संरक्षित क्षेत्र
58	PBR	Peoples Biodiversity Register	मनव जैव विविधता रजिस्टर
59	PCCF	Principal Chief Conservator of Forest	प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन
60	PCR	Project Completion Report	परियोजना समापन रिर्पोट
61	PFM	Participatory Forest Management	सहभागी वन प्रबंधन
62	PIHPFEM&L	Project for Improvement of	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी

Sr. No.	Abbreviations	English	हिन्दी में रूपान्तरण
		Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management & livelihoods	तंत्र प्रबंधन और आजिविका सुधार परियोजना
63	PMC	Project Management Consultant	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
64	PMU	Project Management Unit	परियोजना प्रबंधन इकाई
65	PR	Project Report	परियोजना रिर्पोट
66	PSR	Project Status Report	परियोजना की स्थिति रिर्पोट
67	SHG	Self Help Group	स्वयं सहायता समुह
68	SMC	Soil Moisture Conservation	मृदा नमी संरक्षण
69	SOE	Statement of Expenditure	व्यय का ब्यौरा
70	SWC	Soil Water Conservation	मृदा जल संरक्षण
71	TFD	Technical Forest Division	तकनीकी वन मण्डल
72	TOR	Terms of Reference	संदर्भ की शर्ते
73	TOT	Training of Trainers	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
74	VFDS	Village Forest Development Society	ग्रामीण वन विकास समिति
75	VSTPF	Vulnerable Scheduled Tribes Planning Framework	संवेदनशील/कमजोर अनुसूचित जनजाति योजना ढांचा
76	WLD	Wild Life Division	वन्य प्राणी मण्डल

परियोजना का उदेश्य

परियोजना का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में वन पारिस्थितिकी तन्त्र का प्रबन्धन तथा संवर्धन सतत वन पारिस्थितिकी प्रबन्धन, जैव विविधता सरंक्षण, आजीविका सुधार सहायता तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ़िकरण करना है, जोकि हि0 प्र0 के परियोजना क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं निरन्तर सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक सिद्व हो।

परियोजना की लागत

परियोजना की कुल अनुमानित लागत भारतीय मुद्रा में 800 करोड़ रू0 है जो 13921 मिलियन जापानी येन के तुल्य है जिसमें से 640 करोड़ रू0 (11,136 मिलियन जापानी येन) ऋण के रूप में पूरा होगा तथा बाकी राज्य का हिस्सा है। हि0 प्र0 एक विशेष श्रेणी प्राप्त राज्य है अतः केन्द्रीय सरकार ऋण घटक का 90% भाग वहन कर रही है।

परियोजना की अवधि

परियोजना की अवधि मार्च 2018 से मार्च 2028 तक 10 वष की है। परियोजना की गतिविधियों को परियोजना लक्ष्य जिलों में चयनित वन परिक्षेत्र में लागू किया जाएगा। परियोजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक चरण 2 वर्ष, कार्यान्वयन चरण 6 वर्ष और समेकन/समापन चरण 2 वर्ष।

प्रारंभिक चरण

परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक चरण महत्वपूर्ण है। पहला कदम संस्थागत प्रबन्धन का है जिसमें परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी एम यू),वन वृत समन्वय इकाई (एफ सीसी यू), मण्डलीय प्रबन्धन इकाई (डी एम यू) और क्षेत्रीय तकनीकी इकाई (एफ टी यू) स्थापित करने के पश्चात् अनुबंध कर्मचारियों (Contractual Staff) की तैनाती की जाएगी। कार्य नियम पुस्तिका तथा दूसरी मार्गदर्शिका बनाना, प्रत्येक स्तर पर हि0 प्र0 वन विभाग के कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, वार्ड सुविधा कर्ता तथा ग्राम पंचायत उत्प्रेरक तथा दूसरे भागीदारों को परियोजना की गतिविधियों से अवगत करवाना तथा उनकी क्षमता बढ़ाना तथा सूक्ष्म योजना बनाना इत्यादि कार्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (Project Management Unit) (PMU) की स्थापना के पश्चात् किये जाऐंगें।

कार्यान्वयन चरण

कार्यान्वयन चरण में चयनित घटकों की निम्नलिखित गतिविधियॉ हैं।
सत्त/चिरस्थाई वन पारिस्थिति की तंत्र प्रबंधन, जैव–विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार सहयोग एवं संस्था की क्षमता सुदृढिकरण इत्यादि गतिविधियों को मूल रूप से सूक्ष्म योजना के अनुसार तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जो सहभागी तरीके से तैयार की जाएगी। लक्षित स्वंय सहायता समूह (Self Help Group) (SHG) या समान रूचि समूह (Common Interest Group) (CIG) का भी चयन किया जाएगा या पहले से गठित समूहों को आजीविका सुधार सहयोग गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

समेकन/समापन चरण

इस चरण की गतिविधियॉ जैसे कि परिसम्पति सूची, ग्राम वन विकास समिति (Village Forest Development Society) (VFDS) और जैवविविधता समुदाय समिति (BoidiversityManagement Committee) (BMC) के साथ–साथ SHG/CIG के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण, सूक्ष्म योजना के लिए पुनः परियोजना क्षेत्र का भ्रमण करना इत्यादि है जो परियोजना की स्थिरता और सफलता जानने के लिए महत्वपूर्ण है।

परियोजना के घटक/कार्यक्षेत्र

परियोजना के घटक निम्नलिखित हैः

- सत्त/चिरस्थाई वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन
- जैव–विविधता संरक्षण
- आजीविका सुधार सहयोग
- संस्था क्षमता सुदृढ़िकरण

I. सत्त / चिरस्थाई वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन की आवश्यकता

हिमाचल प्रदेश राज्य पर्वतीय राज्य है जो हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र के तल पर उत्तर भारत में स्थित है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग कि0 मीटर है और जनसंख्या 6,865 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) है। इसकी उतार–चढ़ाव वाली स्थला कृति, ऊंचाई और जलवायु की विस्तृत श्रंखला के कारण राज्य में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है। मुख्यतः, वन पारिस्थितिकी तंत्र। हिमाचल प्रदेश सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के लिए पानी के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में भी काम करता है तथा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे निचले इलाकों में घरेलू, कृषि और उद्योग के पानी के संसाधन उपलब्ध कराता है। उक्त नदी प्रणालियों का जलग्रहण क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, जो हिमाचल प्रदेश वन विभाग (एच0 पी0 एफ0 डी0) के अधिकार क्षेत्र में है और जल संसाधन संरक्षण के संदर्भ में इस का प्रबन्धन और हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र का संरक्षण, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में से एक है, वन क्षेत्र, न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तरी पश्चिमी भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय वन रिपोर्ट (ISFR) 2015 के अनुसार राज्य का वन और वृक्षों का आवरण 27.76% (15,453 वर्ग कि0 मी0) था जिसमें से 5. 79% घने जंगल थे, 11.46% मध्यम घने जंगल, 9.14% खुले वन और 1.36% झाड़ीदार वन थे, हांलाकि भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन, 2009 (Indian State of Forest Report) (IFSR), 2009 के अनुसार राज्य का

वन आवरण 14,668 वर्ग कि0 मी0 में थोडा सुधार हुआ है जो (IFSR), 2015 में 14,696 वर्ग कि0 मी0 हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए 66.7% वानिकीरण निति आवरण का राष्ट्रीय लक्ष्य अभी पूरा नही किया है और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वानिकी क्षेत्र नीति और रणनीति, 2005 का 35.5% का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए जंगल की अपर्याप्त गुणवता मुख्य मुदा है। खुलेवन क्षेत्र (40% से कम और 10% से अधिक वृक्ष छाया घनत्व वाले) और झाड़ी दार वन क्षेत्र (10% से कम वृक्ष छाया घनत्व वाले) को वन की गुणवता की मिश्रित तस्वीर के संकेत के रूप में मुख्यतः जैविक दबाब के कारण वन पतन और पुनर्उत्पादन तथा संरक्षण प्रयासों के माध्यम से वनसुधार के रूप में व्याखित किया जा सकता है। राज्य स्तर पर कृत्रिम पुनर्उत्पादन, सुरक्षा तथा संरक्षण आदि के लिए प्राकृतिक उत्पादन व हिमाचल प्रदेश वन विभाग के निरन्तर प्रयासों से भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन, 2009 से 2015 के बीच खुलेवन क्षेत्र तथा झाड़ीदार क्षेत्रों में धीरे–धीरे सुधार हुआ है। खुले वनों में अभी भी पुनर्नवीनी करण और संरक्षण इत्यादि प्रयासो से तथा वनों पर जैविक दबाव को कम करनें इत्यादि से सुधार हुआ है। राज्य स्तर पर चूंकि प्राकृतिक वन (संरक्षण) और संरक्षण आदि के लिए प्राकृतिक उत्थान (NR) और (HPFD) के निंरतर प्रयासों के माध्यम से भारतीय वन रिर्पोट 2009 ISFR 2015 के बीच खुलेवन क्षेत्रों में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है, तथापि खुले वातावरण का अनुपात अभी भी 34.6% के उच्च स्तर पर बना हुआ है साथ ही जैव दबाब के कारण राज्य के जंगलों को लगातार चुनौती बनी हुई है।

वनों के किनारे रहने वाले समुदायों द्वारा चारे और घास सहित वन संसाधनो के अस्थिर और अत्याधिक उपयोग से भी वन क्षेत्रों और इस के पारिस्थितिकी तत्रं सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए चिंता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में जंगल की आग (सालाना 10,000 है0 औसत) से 100,000 है0 से अधिक वन क्षति ग्रस्त हुए है, जो मुख्य रूप से मानव निर्मित आग के कारण हुआ है।

घासनियों और चारागाह जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और हि0प्र0 में लोगों की आजीविका के लिए भी आवश्यक है की गिरावट काफी हदतक अत्याधिक या अनियंत्रित चराई के कारण हुई है।

वन, घासनी व चारागाह दोनों के अवघटन/पतन से मिट्टी के कटाव के साथ–साथ भूस्खलन भी होता है जो हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखा गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में वन पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं विशेषकर जल स्त्रोतों के संरक्षण के साथ–साथ भूक्षरण व भूमिकटाव की रोकथाम के लिए वन क्षेत्र की घासनियों और चारागाहों में सहभागी प्रबंन्धन हिमाचल प्रदेश राज्य वानिकी क्षेत्र नीति तथा रणनीति, (2005) के अनूरूप है की नितान्त आवयश्कता है।

II. जैव विविधिता सरंक्षण की आवयश्कता

हि0 प्र0 राज्य जो हिमालयन जैव–विविधिता मुख्य क्षेत्र में पड़ता है वनस्पति तथा वन्य जीव भण्डार से परिपूर्ण है। भारत वर्ष में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य जीवों में प्रकृति संरक्षण के लिए अर्न्तराष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature) (IUCN) की सूची में लुप्त होने वाली प्रजातियों सहित हि0 प्र0 में वनस्पति का 7.3% तथा वन्य प्राणी का 7.4% पाया जाता है। हि0 प्र0 प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण विख्यात पड़ाव क्षेत्र है। इस महत्वपूर्ण जैव–विविधिता की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए जो पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं में से एक महत्वपूर्ण तन्त्र है, पांच

राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य प्राणी शरण्य, स्थल तथा 3 सुरक्षा स्थलों की पहचान करके उदघोषित किया गया है।

इन सुरक्षा स्थल तन्त्रों के अन्तर्गत 8358.48 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पड़ता है। इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 में 27 मुख्य जैव विविधिता क्षेत्र (Key Biodiversity Areas KBAs) है जिन्हें विश्वव्यापी जैव–विविधिता में दृढ़ता से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में जैव–विविधिता अधिनियम, 2002 को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि समुदाय आधारित पद्वति की वृद्वि से जैव–विविधिता प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

फिर भी उच्च जैव विविधिता के लिए बहुत सी चुनौतियां है, जैसे घुमन्तू चरवाहों द्वारा वन्य प्राणी निवास तथा सुरक्षा स्थलों को क्षति, ईंधन तथा चारे का अत्याधिक दोहन, वनों की आग, अवैध शिकार, विदेशी प्रजातियों/खरपतवार का प्रसार तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वनभुमि का हस्तान्तरण इत्यादि तथा ये कारक वन्य प्राणी निवास तथा सुरक्षा स्थलों को नुक्सान पहुचाऐंगे जो बाद में पूरे खण्ड की समग्र जैव–विविधिता तन्त्र को हानि कारक होगा। इसके अतिरिक्त जैव–विविधिता संरक्षण का कार्य अभी तक केन्द्रित तौर पर शुरू नही किया जा सका है।

स्थानीय वासियों तथा क्षेत्रीय स्तर के वन अधिकारियों में जैव–विविधिता संरक्षण के मुल्य तथा महत्व की जागरूकता की कमी तथा वैज्ञानिक आंकड़ों के अभाव में हि0 प्र0 में पारिस्थितिकी सन्तुलन में निरन्तर बढ़ते हस्तक्षेप तथा उन से उत्पन्नन कारात्मक प्रभाव भी गम्भीर मामले है। मुख्यतः विकासात्मक गतिविधियों तथा दूसरे मानव हस्तक्षेपों से वन्य प्राणी निवास स्थानों के विघटन के कारण विशेषकर सुरक्षित स्थलों से बाहर कुछ हिस्सों में मानव वन्य जीवों के संघर्ष के मामले प्रचलित है। इसलिए हि0 प्र0 में जैव–विविधिता संरक्षण गतिविधियों को बढ़ाने की नितान्त आवयश्कता है।

III. आजीविका सुधार सहयोग की आवयश्कता

हि0 प्र0 में विविध निवेश तथा आजीविका उत्पति के अवसरों के कारण गरीबी की दर में पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण कमी आई है। (ग्रामीण क्षेत्रों में 1993–94 में 36.8% से 2011 में 8.50%) विकट भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकतम घरों तक भी बिजली तथा रसोई गैस पहुंची है। फिर भी ग्रामीण इलाकों के अधिकतम परिवार आज भी वन क्षेत्र से निकली ईधंन तथा चारे पर निर्भर है अतः इस दिशा में सभी परिवारों को वन क्षेत्र पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं का उपभोक्ता तथा लाभार्थी माना जा सकता है। घुमन्तू तथा अर्ध घुमन्तू समुदाय जैसे गद्दी और गुज्जर आदि के मामलें/सदंर्भ में उनकी आजीविका की निरन्तरता के लिए पारिस्थितिकी तन्त्र की स्थिरता अति आवयश्क है क्योकि इन समुदायों की आय का मुख्य स्त्रोत पशुपालन, ऊन और खालें, मांस तथा दुग्ध उत्पाद और वन क्षेत्रों से घास और चारा इत्यादि है। इस सन्दर्भ में जैसाकि हि0 प्र0 वन क्षेत्र नीति तथा रणनीति निर्धारण, 2005 के अर्न्तगत आपेक्षित है इन पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं के उपभोक्ताओं की संलिप्तता वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रंवधन के लिए नितांत आवयश्क है।

आजीविका सुधार सहयोग के अर्न्तगत ऐसी सामुदायिक विकास गतिविधियां की जाएगी जो वन पारिस्थितिकी तन्त्र परमान वजनित दबाव कम करें तथा वन पारिस्थितिकी तन्त्र के प्रबंधन में तथा समुदाय संचालन हेतु एक प्रोत्साहन होगा ताकि जंगलों पर चारा व ईधन की लकड़ी के दोहन हेतु

गांव वालों की निर्भरता कम हो। परियोजना के माध्यम से सहभागी दृष्टिकोण को वन पारिस्थितिकी तन्त्र सेवाओं के सुधार की गतिविधियों की निरन्तरता और निवेश को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा।

IV. संस्थागत सुदृढ़िकरण /सशक्तिकरण की आवयश्कता

हि0 प्र0 वन विभाग हिमाचल प्रदेश में वन संसाधनों की सुरक्षा व प्रबन्धन तथा वन क्षेत्र में पारिस्थितिकी तन्त्र के लिए कार्यरत है। वन विभाग, विविध केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, साथ ही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे कि जापान सरकार से प्राप्त ऋण से पोषित योजना, "स्वा नदी एकीकृत जलागम प्रबंन्धन परियोजना" वर्ष 2006 से 2016 तक कार्यान्वयन कर चुका है। राज्य में इन योजनाओं को अधिकतर सांझा वन प्रबंधन प्रद्वति द्वारा कार्यान्वित किया जाता रहा है, अतः वन विभाग को सहभागी वन प्रबंधन के तरीको से कार्य चलाने में गूढ़ अनुभव प्राप्त है।

परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा स्थिरता को सुनिश्चित करने के उदेश्य से सामुदायिक स्तर की सस्थाओं तथा दूसरे भागीदारों/सहायक सस्थाओं को कार्य कुशल और प्रभावी ढंग से इकट्ठे कार्य करने के लिए यह आवयश्क होगा कि हि0 प्र0 वन विभाग की संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाए। जिस के लिए मानव संससधन क्षमता तथा कार्यकुशलता को बढ़ाना, अनुसंधान तथा ज्ञान आधारित कलापों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना, निर्णायक सहायक प्रणाली की क्षमता में सुधार तथा अनुश्रवण तंत्र मे सुधार–प्रबंधन सूचना प्रणाली (ManagamenetInformation System) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली, (Geographic Information Syatem, (GIS) द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वनों के पारिस्थितिकी सेवाओं के सुधार हेतु वनों का प्रबंधन तथा जैव विविधता संरक्षण अति आवश्यक है।

परियोजना घटक और उप घटक की गतिविधियां

घटक 1. सतत वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन	
1.1 सांझा वन प्रबन्ध के लिए प्रारम्भिक कार्य।	1.1.1 हस्तक्षेपित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) की पहचान तथा चयन। 1.1.2 सांझा वन प्रबन्धन पद्वति तथा विभागीय पद्वति। 1.1.3 लक्षित समुदायों की पहचान तथा चयन। 1.1.4 हस्तक्षेपित क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा चित्रण। 1.1.5 वार्ड स्तरीय सुविधा कारकों की नियुक्ति। 1.1.6 समुदाय संचालन। 1.1.7 सूक्ष्म कार्य योजना बनाना (वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन) कार्य। योजना तथा सामुदायिक विकास तथा आजीविका सुधार योजना। 1.1.8 वार्षिक नियोजन, कार्य योजना की समीक्षा (चौथे वर्ष में)।
1.2 सहभागी वन प्रबन्धन प्रणाली	1.2.1 स्थान विशेष नियोजन तथा अनुश्रवण। 1.2.2 जल निकास रेखा उपचार (पौधारोपण क्षेत्र के बाहर मृदा तथा जल संरक्षण कार्य)।

	1.2.3 कम घने जंगलों का सुधार तथा सघनीकरण। 1.2.4 वनीकरण/खुले/झाड़ीदार जंगलों का सुधार। 1.2.5 खरपतवार से भरे हुए वन क्षेत्र का पुनर्उत्थान। 1.2.6 चारागाह/घासनियों का सुधार (मृद्वा एवं जल संरक्षण सहित)। 1.2.7 वनों का आग से बचाव। 1.2.8 वन क्षेत्र से बाहर वानिकी गतिविधियां।
1.3 ग्रामीण वन विकास समितियों का प्रशिक्षण	1.3.1 ग्रामीण वन विकास समितियों का प्रशिक्षण। 1.3.2 सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता भ्रमण (Exposure Visit)। 1.3.3 सामुदायिक स्तर की संस्थाओं के लिए सयुंक्त कार्यशालाऐं।
1.4 विभागीय प्रणाली	1.4 स्थल विशेष नियोजन तथा अनुश्रवण। 1.4.2 परियोजना हस्तक्षेपित क्षेत्रों में वन सीमाऐं प्रबंधन का सुधार 1.4.3 पौधशालाओं का सुधार। 1.4.4 पौध उत्पादन। 1.4.5 गैर सहभागी वन प्रबन्धन जल निकासी नाली का उपचार (क्षेत्र से बाहर मृदा तथा जल सरंक्षण कार्य उपचार सम्भावित सतह क्षरण नियन्त्रण)। 1.4.6 वर्तमान जंगलों के सुधार के लिए गौण वन वर्धन कार्य। 1.4.7 कम घने जंगलों का सुधार तथा संघनीकरण। 1.4.8 वनीकरण/खुले/झाड़ीदार जंगलों का सुधार। 1.4.9 चारागाह/घासनियों का सुधार (क्षेत्र के अन्दर मृदा तथा जल सहित संरक्षण कार्य) 1.4.10 वनों की आग का प्रबंधन।
1.5 हि0 प्र0 वन विभाग के परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.5.1 मण्डलीय प्रबंधन इकाई (DMU) के वनपरिक्षेत्र अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, फील्ड़ तकनीकी इकाई समन्वयक इत्यादि को क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। 1.5.2 ग्राम पंचायत प्रेरकों तथा सहुलियत प्रदान कर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण।
1.6 अनुसन्धान	1.6.1 पौधशाला तथा ऊँचें पौधे लगाने के लिए अनुश्रवण आकंड़ों का सग्रंहण। 1.6.2 प्रभावी चरागाह प्रबन्धन के लिए अनुश्रवण आकंड़ों का संग्रहण। 1.6.3 प्रभावी मृदा जल संरक्षण तथा भू–क्षरण नियन्त्रण उपायों का अध्ययन।
घटक 2. जैव–विविधिता प्रबंधन	
2.1 वैज्ञानिक जैव–विविधिता	2.1.1 प्रारम्भिक कार्य।

प्रबंधन	2.1.2 संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन। 2.1.3 मानव वन्य जीव सघंर्ष शमन/प्रबन्धन। 2.1.4 वन्य जीव आवास सुधार। 2.1.5 लुप्तप्रायः वन्य जीवों के लिए रिकवरी कार्यक्रम।
2.2 परियोजना से सम्बन्धित हि0 प्र0 वन विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.2.1 मण्डलीय प्रबंधन इकाई (DMU), विषय विशेषज्ञ, फील्ड़ तकनीकी इकाई समन्वयक को क्षेत्र में कार्यो में सुविधा के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। 2.2.2 ग्राम पंचायत संचालकों तथा सुविधा कारकों के लिए प्रशिक्षण।
2.3 अनुसंधान	2.3.1 जैव–विविधिता गलियारे पर पायलट परियोजना (जैव–विविधिता गलियारे के लिए आधार भूत सर्वेक्षण)। 2.3.2 जैव–विविधिता जनगणना को डिजायन करने के लिए बुनियादि अध्ययन।
2.4 समुदाय आधारित जैव–विविधिता प्रबन्धन	2.4.1 प्रारम्भिक कार्य। 2.4.2 समुदाय आधारित जैव–विविधिता प्रबंधन।
2.5 DMU/ FTU तथा BMC उप–समितियों का प्रशिक्षण।	2.5.1 मण्डलीय प्रबन्धन इकाई/क्षेत्रीय तकनीकी इकाई का प्रशिक्षण। 2.5.2 जैव विविधिता प्रबन्धन समितियों तथा उप–समितियों का प्रशिक्षण। 2.5.3 सामुदायिक सस्थाओं द्वारा जागरूकता भ्रमण। 2.5.4 सामुदायिक स्तर की सस्थाओं की सयुंक्त कार्यशालाऐं (VFDS/BMCs Sub Committees)।
घटक 3. आजीविका सुधार सहायता	
3.1 सामुदाय विकास	3.1.1 सामुदाय विकास एवं आजीविका सुधार योजना बनाना। 3.1.2 धन का हस्तांतरण। 3.1.3 सामुदायिक विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन। 3.1.4 सामुदायिक विकास के लिए मार्गदर्शिका तथा प्रशिक्षण कार्य क्रम तैयार करना। 3.1.5 अनुसंधानः जल में उगनें वाले चारा उत्पादन कार्य (Hydro Cultural Fodder Production)।
3.2 गैर काष्ठ वन उपज (NTFP) आधारित आजीविका सुधार	3.2.1 प्रारम्भिक कार्य। 3.2.2 गैर काष्ठ वन उपज अनुसंधान तथा विकास। 3.2.3 गैर काष्ठ वन उपज खेती–बाड़ी। 3.2.5 गैर काष्ठ वन उपज मण्डियों की पहचान व वन उपज वृद्वि कार्य। 3.2.6 प्रशिक्षण तथा प्रसार।
3.3 अतिरिक्त गैर काष्ठ वन उपज (Non NTFP) के आजीविका सुधार	3.3.1 आजीविका सुधार नीति तथा योजना बनाना। 3.3.2 सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार योजना बनाना।

कार्य।	3.3.3 समान रूचि समूह/स्वय सहायता समूह बनाना/पुनर्गठन। 3.3.4 गृह/सामुदायिक स्तरीय आजीविका सुधार कार्यान्वयन। 3.3.5 सामुहिक आजीविका सुधार गतिविधियों का संवर्धन। 3.3.6 आजीविका सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। 3.3.7 समान रूचि समूह/स्वय सहायता समूहों तथा सामुहिक सगंठनों की क्षमता विकास।
घटक 4. सस्थागत क्षमता सुदृढ़ी करण	
4.1 प्रारम्भिक कार्य	4.1.1 परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा क्षेत्रीय स्तर की इकाईयों की स्थापना। 4.1.2 परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा क्षेत्रीय स्तर की इकाईयों का सुदृढ़ीकरण। 4.1.3 लिंगाधारित कार्य योजना बनाना। 4.1.4 पर्यावरण तथा सामाजिक विचार।
4.2 क्षमता विकास	4.2.1 कार्यान्वयन संस्थाऐं। 4.2.2 लिंग आधारित प्रशिक्षण। 4.2.3 पर्यावरण तथा सामाजिक विचार।
4.3 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।	4.3.1 निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना तथा कार्यकारी रूप प्रदान करना। 4.3.2 GIS/MIS/ICT का संबर्धन। 4.3.3 संचार एवं प्रचार।
4.4 अनुसंधान	4.4.1हि0 प्र0 वन विभाग में ICT के आधरभूत अध्ययन का सुदृढ़ीकरण ।
4.5 परियोजना प्रबन्धन समिति	4.5.1 परियोजना प्रबन्धन समिति का स्थापन। 4.5.2 परियोजना प्रबन्ध समिति विशेषज्ञों की तैनाती। 4.5.3 तकनीकी तथा प्रबंधकीय सलाहकार सेवाओं का प्रावधान। 4.5.4 रिर्पोट तैयार करना।
4.6 समेकन चरण	4.6.1 कार्यावत ऐजन्सी। 4.6.2 समेकन योजना बनाना/चिरस्थाई प्रबंधन नियोजन। 4.6.1.2 स्त्रोतों तथा परिसम्पति का हस्तातंरण। 4.6.2 सामुदाय आधारित संगठन। 4.6.2.1 वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्ध योजना (FEMP) तथा सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार परियोजना (CD & LIP) पर दोवारा चर्चा करना/समीक्षा करना। 4.6.2.2 समेकन सम्बन्धित प्रशिक्षण।

कार्यान्वयन संगठन

कार्याकारी संस्था:– हि0 प्र0 वन विभाग।

संगठन की भूमिका:– हि0 प्र0 सरकार ने वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए सत्त आधार पर वानिकी तथा वन्य प्राणी कार्यक्रमों का नियोजन तथा अनुश्रवण करते हुए विकास, संरक्षण, वनवृद्वि, वन्य प्राणी शरण्य आदि के प्रबंधन हेतु वन विभाग की स्थापना की है।

परियोजना को वन विभाग के अन्तर्गत एक स्वयतः समिति, नियोजन प्रबंधन ईकाई PMU के रूप में स्थापित करके कार्यान्वित किया जा रहा है जो हि0 प्र0 सभाऐं पंजीकरण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकृत है। परियोजना के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति, सरकारी स्तर पर उच्चतम निर्णायक संकाय के रूप में कार्य करेगी और यह समिति परियोजना कार्यान्वयन के लिए गठित स्वयतः समिति का भाग नही होगी। हांलाकि परियोजना कार्यान्वयन का मुख्य उतरदायित्व वन विभाग का होगा। कार्यरत वन मण्डल तथा वन परिक्षेत्र कार्यालय परियोजना कार्यान्वयन के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगें। लक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वयन प्रबन्ध वन मण्डल व वन परिक्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना की विभिन्न अंगों/ निकायों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1) **उच्च स्तरीय समिति** (High Power Committee (HPC):– परियोजना के आग्रह पर हिमाचल सरकार के अन्तर्गत इस समिति का गठनकिया जाएगा जो समिति से बाहर होगीं।

   उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होगें तथा समिति, राज्य में परियोजना सम्बन्धी नीति निर्धारण विषयों में कार्य करेगी। समिति की बैठक छः महीने में एक बार होगी या जरूरत पड़ने पर वर्ष में अधिक बार भी हो सकती है तथा परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। समिति सरकार के साथ नीति तथा बार्षिक बजट सम्बन्धी मामलों के लिए उतरदायी होगी तथा साथ–साथ अन्तर्विभागीय समन्वय तथा समावेश को भी सरल बनाएगी।

2) **शासकीय निकाय** (Governing Body, GB):– शासकीय निकाय समिति का उच्चतम निर्णायक निकाय होगा जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव (वन) व सह अध्यक्ष प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बलप्रमुख) होगें। शासकीय निकाय की बैठक वर्ष में प्रत्येक त्रिमाही में तथा जरूरत पड़ने पर इससे अधिक बार भी हो सकती है। शासकीय निकाय की भूमिका व उतरदायित्व परियोजना की उन्नति की समीक्षा करने के साथ–साथ वार्षिक योजनाएं और वितरण स्थिति का निरीक्षण करना है। सभी व्यक्तिगत योजनाओं, प्रस्तावों या 20 लाख रूपयों परन्तु 5 करोड़ से अधिक नहीं, के वस्तुओं और सेंवाओं की खरीद की प्रशासनिक और वितीय स्वीकृती प्रदान करेगी ।

3) **परियोजना प्रबंध ईकाई** (Project Management Unit, PMU):– मुख्य अरण्यपाल या इससे ऊपर के पद का अधिकारी PMU का मुख्य परियोजना अधिकारी (Chief Project Director, CPD) होगा। वह समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा तथा कार्यकारी समिति की अध्यक्षता भी करेगा। PMU समग्र परियोजना समन्वय, परियोजना कार्यान्वयन में मार्गदर्शन तथा निरीक्षण, खरीद (प्राप्ति) प्रबंधन, वितीय प्रंबन्धन के साथ–साथ कार्यान्वयन ईकाईयों के लिए बजट पहुंचाना, क्षेत्रीय कार्यालयों से वित विवरणियों का मिलान, प्रतिपूर्तिदावों (Reimbursement Claims) को बनाना तथा उन्हें JICA को प्रस्तुत करना, निरीक्षण व मुल्यांकन और त्रैमासिक प्रतिवेदन बनाने सम्बन्धी कार्य करेगी।

परियोजना के सुचारू समन्वय तथा कार्यान्वयन के उदेश्य से PMU के कुल्लू तथा रामपुर में दो कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ये दोनों कार्यालय क्षेत्रीय समन्वय की क्षमता में वृद्वि करेगें तथा रामपुर का कार्यालय "समुदाय तथा संस्थागत क्षमता निर्माण" तथा कुल्लू का कार्यालय "निरीक्षण, मुल्याकंन तथा पार्यावरण/सामाजिक सुरक्षा" सम्बन्धी कार्य करेगा। कार्यकारी समिति परियोजना की भौतिक तथा वित्तीय उन्नति का निरीक्षण करने की उतरदायी होगी।

4) **वन वृत समन्वय ईकाई** (Forest Circle Co-ordination Unit, FCCU):– FCCU की स्थापना वृत कार्यालय में की जाएगी जहां परियोजना का कार्यालय होगा तथा यह कार्यान्वयन के लिए PMU को समर्पित होगा तथा विस्तृत शाखा के रूप में कार्य करेगा। मुख्य वनसंरक्षक (CCF) या CF पद का अधिकारी FCCU का मुख्य होगा जिसे FCCU अधिकारी के रूप में पद नामित किया जाएगा। FCCU मण्डलीय स्तर परपरियोजना कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा तथा DMU तथा FTU दोनों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। FCCU अन्तर्खण्ड समावेश हेतू जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करेगा तथा नियोजन प्रॉकलन बनाने, जांच पड़ताल, निरीक्षण, प्रलेखन तथा भौतिक तथा वित्तीय उन्नति में सहायता प्रदान करेगा ।

5) **मण्डलीय प्रंबन्धन इकाई** (Divisional Management Unit, DMU):– DMU, को एक सयतः समिति के भाग तथा PMU की बढाई गई शाखा के रूप में स्थापित किया है जो मण्डलीय कार्यालय के भीतर ही कार्य करेगी। DMU का मुख्य,वन मण्डल अधिकारी स्तर का अधिकारी होगा जिसे DMU अधिकारी के रूप में पद नामित किया जाएगा। DMU परियोजना क्षेत्र की परिक्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन की देखरेख, नियोजन कार्यान्वयन तथा पुनः निरीक्षण करेगा तथा साथ साथ उनकी चिन्हित जिम्मेदारियों की देख रेख करते हुए परियोजना तथा सामान्य विभागीय गतिविधियों के बीच एक अहम कड़ी प्रदान करेगा। DMU परियोजना के कार्यों की विविध प्रकार से जांच करने के साथ साथ वित्तीय तथा भौतिक उन्नति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, परियोजना का लेखा जोखा बनाने, FCCU से दिशानिर्देश प्राप्त करने तथा परियोजना गति विधियों में भाग लेने का उतरदायी होगा। DMU मण्डलीय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन में समन्वय तथा सरलीकरण स्थापित करेगा तथा FTU को दिन प्रतिदिन के आधार पर समस्त तकनीकी ज्ञान्/सहायता व मार्ग दर्शन प्रदान करेगा।

6) **क्षेत्रीय तकनीकी इकाई** (Field Technical Unit, FTU):- FTU, को PMU की एक फैली हुई ईकाई तथा स्वायतः समिति के भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी या वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात वन खण्ड अधिकारी, FTU का मुख्य होगा और उसे वन तकनीकी इकाई अधिकारी के रूप में पद नामित किया जाएगा। FTU, वनपरिक्षेत्र स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन का सरली करण करेगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर लक्षित ग्रांम पंचायतों तथा सामुदायिक सस्थाओं को नियोजन, प्रॉकलन बनाने, देख–रेख, अनुश्रवण तथा आगामी वांछित कार्यावाही, प्रलेखन तथा भौतिक तथा आर्थिक उन्नति का प्रतिवेदन बनाते हुए समस्त तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

FTU, खर्चों का संचालन करेगा तथा DMU को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा परन्तु ग्रामीण वन विकास समिति (VFDS)/जैव–विविधता प्रबन्धन समिति (BMC) को वित्तीय आंवटन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा तथापि ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण वन विकास समितियों को पैसा जारी करने के लिए वित सूचना/परामर्श पत्र (Fund Advice Note) GPs तथा VFDS को पैसा जारी करने के लिए क्षेत्रीय तकनीकी अधिकारी द्वारा तैयार तथा अनुशंसित किया जाएगा।

7) **ग्रामीण वन विकास समिति** (Village Forest Development Committee, VFDS) **और जैवविविधता प्रबन्धन समिति** (Biodiversity Manamagement Committee, BMC):– परियोजना में ग्रामीण स्तर पर VFDS तथा BMC को मुख्य सामुदायिक स्तर के निकाय के रूप में शामिल किया जाएगा । VFDS तथा BMC उपसमितियों दोनों को FTU समन्वयक तथा ग्राम पंचायत प्रेरकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। VFDS तथा BMC उपसमितियों दोनों द्वारा कार्यान्वित की गई गतिविधियों को समुदाय के साथ सुचारू कार्य सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रतिवेदित भेजा जाएगा।

संस्थागत प्रबन्ध

परियोजना कार्यन्वयन के लिए उल्लेखित संस्थागत प्रबन्धों को चित्र में दर्शाया गया है।
परियोजना प्रबंध ईकाई (PMU) की सहायता से परियोजना कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उतरदायी है। परियोजना प्रबन्धन इकाई का सगंठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:–

1. मुख्य परियोजना निदेशक
2. परियोजना निदेशक
3. वित अधिकारी
4. अतिरिक्त परियोजना निदेशक
5. कार्य प्रबंधक/अधिकृत लेखाधिकारी
6. कार्य प्रबंधक
7. विषय विशेषज्ञ
8. तकनीकज्ञ
9. लेखा प्रबंधक
10. कार्यालय प्रबन्धक
11. लेखाकार

परियोजना प्रबन्धक कार्यालय, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित होगा। तुरन्त निर्णय लेने, नजदीकी देख रेख, मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय कार्यों की जानकारी लेने के लिए PMU के भीतर PMU की कार्यकारी समिति स्थापित की जाएगी। संचालन संकाय दिन प्रतिदिन के उतरदायित्व को कार्यकारी समिति को सोंपेगा। परियोजना में सुचारू समन्वय तथा कार्यन्वयन के उदेश्य से तथा कार्यकारी शाखाओं को दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों जैसे शीत मरूस्थल तक फैलाने के लिए PMU के रामपुर तथा कुल्लू में दो क्षेत्रीय कार्यालय है ये दोनों कार्यालय क्षेत्रीय समन्वय तथा कार्य क्षमता को बढाऐंगें। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की रामपुर शाखा "समुदाय तथा सस्थागत क्षमता निर्माण" तथा कुल्लू वाली शाखा "अनुश्रवण मुल्यांकन तथा पर्यावरण/सामाजिक सुरक्षा" सम्बन्धी कार्य करेगी।

परियोजना में विभिन्न स्तरीय संस्थागत ईकाइयों का प्रवाह चार्ट आरेख (Organogram showing Institutional arrangement)

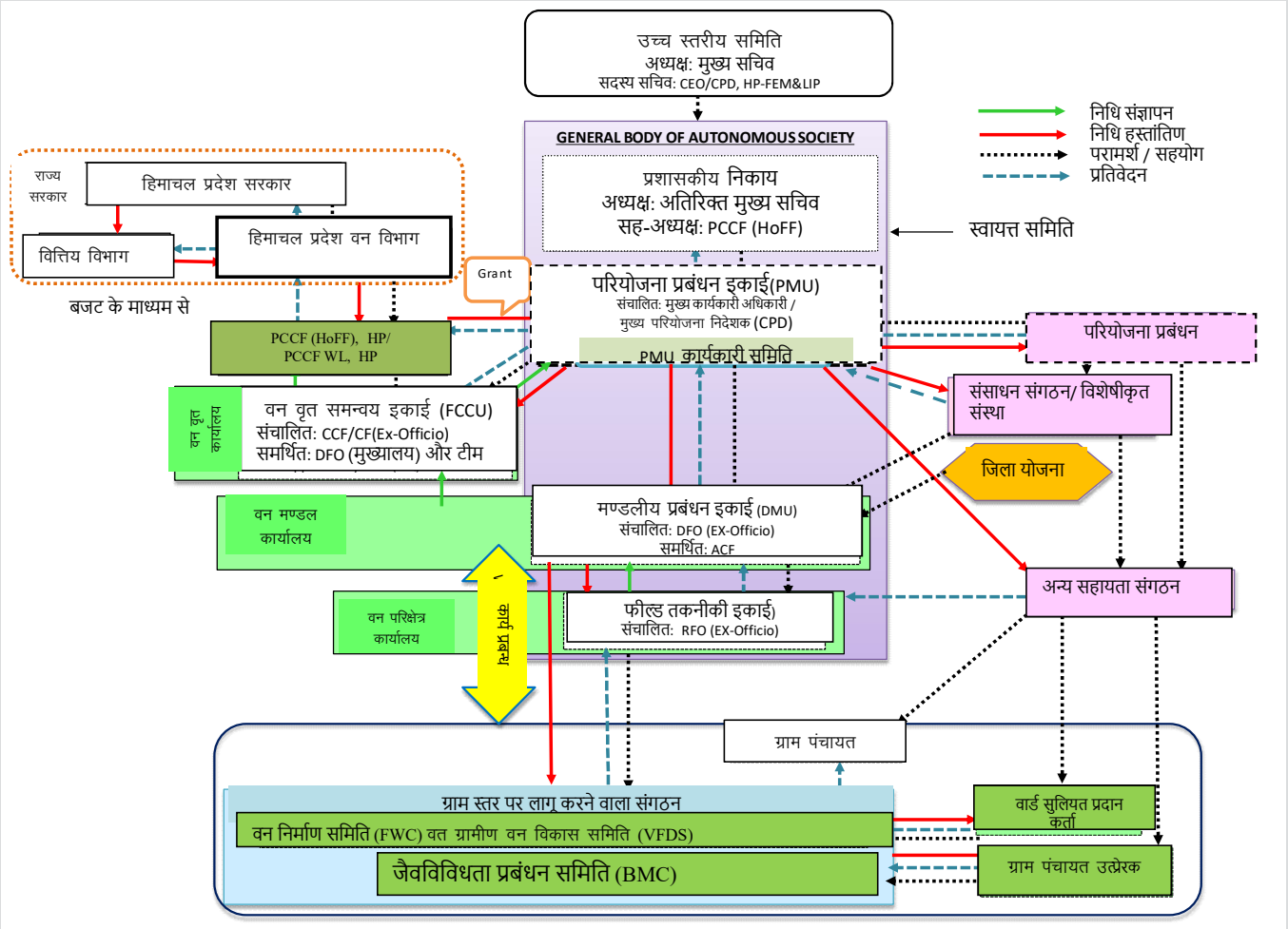

घटक 1: सतत वन पारिथितिकी तन्त्र प्रबन्धन

उप घटक अनुसंन्धान मुख्य गतिविधियां

1. **अनुश्रवण, पौधशाला उगाने तथा ऊंचें पौधे लगाने बारे एकत्रित आकड़ों की निगरानी करना:–** हि0 प्र0 वन विभाग ने ऊंचें पौधे लगाने की शुरूआत की है। परियोजना से पौधशाला उगाने, पौधे लगाने, लम्बे पौधों की सुरक्षा तथा राज्य में बेहतर ढंग से ऊंचे पौधे लगाने के प्रबन्धन के लिए समुचित तथा यथार्थवादी कार्य मान दण्ड निर्धारित करना आपेक्षित है। PMU सूचिबद्व संस्थाओं से बाहरी तौर पर ठेका दिए गए कामों के प्रस्तावों को उनको अध्ययन हेतू प्रस्तुत करने बारे आग्रह करेगा। खरीद समिति या PMU स्तर पर हि0 प्र0 वन विभाग के प्रतिनिधियों, परियोजना समिति तथा विदेशी विशेषज्ञों की गठित विशेष समिति प्रस्तावों का मुल्यांकन करेगी तथा पात्र संस्थाओं को काम सौंपेगी। सम्पूर्ण अध्ययन आठ वर्षों में पूरा होगा।

जरूरी सांकेतिक मानव संसाधन सहयोग निम्न प्रकार से अकिंत है:–

क्रं0सं0	गतिविधियां	सहयोग (Input)
1	परियोजना में ऊंचें पौधों को इकटठा करना तथा विशलेषण से सम्बन्धित यथोच्चित सूचना	तीन विशेषज्ञ तीन महीनों के लिए।

कं0सं0	गतिविधियां	सहयोग (Input)
2	अनुश्रवण स्थलों की पहचान तथा चुनाव	तीन विशेषज्ञ छः महीनों के लिए।
3	अनुश्रवण तथा आंकड़ें इकटठा करना ।	तीन विशेषज्ञ तथा छः सहायक सात वर्षों के लिए ।
4	प्रति वेदन लेखन तथा प्रस्तुतिकरण/परामर्श	2 विशेषज्ञ 1/6 महीनों के लिए।

2) **प्रभावी चरागाह प्रबन्धन के लिए आकंडें इकटठा करने सम्बन्धी अनुश्रवणः:–** परियोजना की गतिविधियों में से एक गतिविधि शुष्क उच्च पर्वतीय शिखर चरागाह (किन्नौर, लाहौल और स्पिति) वन्य प्राणी सुधार पर केन्द्रित रहेगी तथा भारतीय चरागाह/घासनी भूमि,चरागाह अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित प्रतिरूप (Model), अधिक जैव ईंधन (Biomass) उत्पादकता तथा चरागाह व घासनी की भूमि में दोवारा बिजाई करने के लिए अपनाए जाऐंगें। इस सन्दर्भ में चरागाह प्रबन्धन के लिए इन गतिविधियों के अनुश्रवण आंकड़ें जैसे पौधशाला उगाना, पौधरोपण तथा उपचार कार्य राज्य में चरागाह सुधार तथा अधिक उचित तथा यथार्थ पूर्ण कार्य मानदण्ड की पहचान का मुल्यांकन करने के लिए जरूरी है। PMU सूचिबद्व संस्थाओं को बाहरी तौर पर दिए गए काम का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का आग्रह करेगा। खरीद/क्रय समिति या PMU स्तर पर हि0प्र0 के प्रतिनिधियों, परियोजना प्रबंधन समिति तथा बाहरी विशेषज्ञों की गठित विशेष समिति प्रस्तावों का मुल्यांकन करेगी तथा पात्र संस्थाओ को काम सौंपेगी। सम्पूर्ण अध्ययन आठ वर्षों में पूरा होगा। अवश्यक साकेंतिक मानव ससांधन सहयोग निम्न प्रकार से अकिंत हैः–

कं0सं0	गतिविधियां	सहयोग (Input)
1	परियोजना के अर्न्तगत चरागाह प्रबंधन की सुचनाओं/ आंकड़ों को इकटठा करना।	तीन विशेषज्ञ तीन महीनों के लिए।
2	मूल्यांकन के लिए अनुश्रवण स्थलों की पहचान तथा चुनाव	तीन विशेषज्ञ पांच महीनों के लिए।
3	अनुश्रवण तथा आंकड़ें इकटठा करना ।	दो विशेषज्ञ तथा दो सहायक सात वर्षों के लिए।
4	प्रतिवेदन लेखन तथा प्रस्तुतिकरण/परामर्श	2 विशेषज्ञ 1/6 महीनों के लिए।

घटक 2 जैव–विविधता संरक्षण

उप घटक अनुसंधान मुख्य गतिविधियां

1 **जैव–विविधता गलियारे पर मुख्य योजनाः–** जैव विविधता गलियारे (जैसे धौलाधार, इन्द्रकिला के मध्य तथा खीरगंगा सुरक्षित क्षेत्र) की अवधारणा अपनाते हुए अनुसंधान किया जाएगा। सुरक्षित क्षेत्रों का सावधानी पूर्वक तैयार किया गया तन्त्र जो जैव विविधता गलियारे के अलग थलग पड़े सुरक्षित क्षेत्र की खाई को प्रभावी ढंग से जोड़ें।

एक बाहरी संस्था आधारभूत सर्वेक्षण करेगी तथा जैव विविधता सूचि तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए नमूना स्थलों का चयन करेगी।

हि0प्र0 वन विभाग के "आंकड़ों का समुदाय जैव विविधता रजिस्टर" से दृढ़ आकड़ों की सूचि प्राप्त हो सकती है। योजना आधारभूत सर्वेक्षण, स्थल की पहचान, क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन तैयार करने सहित कुल मिलाकर 28 महीनों का समय लेगी।

कं0सं0	गतिविधियां	सहयोग/Input
1	आधारभूत सर्वेक्षण	4 विशेषज्ञ 5 महीनों के लिए।
2	स्थलों की पहचान	4 विशेषज्ञ 6 महीनों के लिए।
3	प्रभाव मूल्यांकन	4 विशेषज्ञ तथा 4 सहायक 12 महीनों के लिए
4	सम्भावित जैव–विविधता गलियारे के अनुरूप सुरक्षित क्षेत्र तन्त्र विकसित करना।	4 विशेषज्ञ 3 महीनों के लिए।
5	प्रतिवेदन लेखन तथा प्रस्तुति/ विचार विमर्श।	4 विशेषज्ञ 3 महीनों के लिए।

2 जैव–विविधता आंकलन की रूप–रेखा तैयार करने के लिए आधारभूत अध्ययनः–जैव–विविधता आकलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आधारभूत अध्ययन का उद्देश्य वैज्ञानिक सरंक्षण तथा जैव–विविधता प्रबन्धन के आकलन के लिए दीर्घ अवधि आधार पर स्थान का चयन तथा एक रेखा प्रणाली विकसित करने का है। अनुबंधित संस्थाऐं आधार भूत सर्वेक्षण करेंगी, राज्य के लिए जैव–विविधता आकलन का विकास तथा रूपरेखा तैयार करेगी जो आवश्यकता के अनुरूप सही साबित होत था राज्य के लिए अत्यन्त प्रभावशाली हों। मुख्य परियोजना, आधार भूतसर्वेक्षण करने, स्थल की पहचान, क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन तैयार करने सहित कुल मिलाकर 27 महीने का समय लगाएगी।

मुख्य परियोजना के लिए सांकेतिक सहायता निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गतिविधि	सहायता
1	आधारभूत सर्वेक्षण	4 विशेषज्ञ 3 महीनों के लिए।
2	हि0प्र0 के लिए जैव–विविधता आकलन की रूपरेखा तैयार करना तथा विकास करना	4 विशेषज्ञ3 महीनों के लिए।
3	रूपरेखा तैयार करना तथा आकलन के लिए आधारभूत अध्ययन।	4 विशेषज्ञतथा 4 सहायक 18 महीनों के लिए।
4	प्रतिवेदन लेखन तथा प्रस्तुतिकरण परामर्श	4 विशेषज्ञ 3 महीनों के लिए।

घटक 3 आजीविका सुधार सहायता

आजीविका सुधार सहायता घटक के अन्तर्गत जल संवर्धन में उगाये गये चारे पर मुख्य परियोजना गतिविधि होगी। इस गतिविधि में हरे चारे की कमी को दूर करना तथा चरागाह क्षेत्रों के ह्रास/ निम्नीकरण को दूर करना है। हालांकि सूखे चारे को वाहरी क्षेत्रों से खरीदना प्रत्येक घर के लिए आमवात बन गई है जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था पर वितीय बोझपड़ रहा है। अतः इस परियोजना में चारे के विकल्प खोजने के प्रयत्न किए जाऐंगे।

अनुबंधित अनुबंधित संस्थाएं 10 मुख्य बार्डों की पहचान करेगी तथा PMU के साथ क्षेत्रों की प्रारम्भिक पहचान करने के लिए विचार विमर्श करेगी। तत्पश्चात् स्त्रोत संगठन FCCU तथा FTU के साथ छांटे गए क्षेत्रों का दौरा करेंगें तथा वन बार्ड समितियों (Forest Ward Committee) तथा उप–समितियों के साथ विचार विमर्श करेंगें कि क्या वे मुख्य प्रयोजना में भाग लेने के लिए सहमत हैं या नहीं? परियोजना जल संवर्धन चारे के उत्पादन की इकाई को स्थापित करने का खर्चा उठाएगी तथा उसे मुख्य परियोजना पूर्ण होने पर एक सांझा सम्पति के रूप में समुदाय को सोंपेगी। परियोजना की अवधि, तैयारी, स्थान की पहचान, क्षेत्रीय परीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति सहित कुल मिला कर दो बर्ष की होगी। आजीविका सुधार सहायता घटक के अन्तर्गत गैर काष्ठ वन उत्पाद आधारित आजीविका सुधार उप घटक का प्रावधान है। इस उप घटक के कार्यन्वयन के लिए संचालन निकाय की अनुमति के पश्चात् परियोजना के प्रथम वर्ष में PMU के अन्दर जड़ीबूटी कोष्ठ की स्थापना की जाएगी।

जड़ी बूटी कोष्ठ के मुख्य कार्य निम्न हैं :–

- हि0 प्र0 में औषधीय पौधों की छाप (Brand) पैदा करना तथा छाप को विकसित करने के लिए आजीविका सुधार सहायता।
- (High Altitude) उच्च ऊंचाई वाले स्थानों की मुख्य औषधीय पौधों की मुल्य श्रृंखला के विकास पर कार्य करना।
- औषधीय पौधों की मुल्य श्रृंखला के विकास के लिए कानूनी तथा कार्यकारी खाका तैयार करने के लिए नीति में बदलाव की वकालत के कार्य को हाथ में लेना।
- राज्य में औषधीय पौधों की खरीद तथा व्यापार में सुविधाकर्ता की भूमिका निभाना व औषधीय तथा दूसरे उद्योगों को लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- स्थाई/टिकाऊ आधार पर मण्डियों का अनुसंधान करना तथा मण्डी सूचना प्रणाली विकसित करना।
- उच्च ऊंचाई वाले औषधीय पौधों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भागीदारों के सहयोग सेसंरक्षण, विकास तथा स्थाई प्रबंधन हेतू कार्य करना।
- देश में औषधीय उघोगों को महत्वपूर्ण औषधीय पौधों/ उत्पाद की आपूर्ति के लिए हि0 प्र0 को एक विश्वसनीय स्त्रोत बनाने के लिए उच्च ऊंचाई वाले पौधों की रोपाई तथा खेतीवाड़ी को एक व्यापक अभियान के रूप में लागू करना।
- चुने हुए उच्च ऊंचाई वाले औषधीय पौधों को उगाने के लिए कृषि तकनीक विकसित करने और सतत् दोहन मापदण्ड तैयार करने के लिए अनुसन्धान संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना।
- उत्पादक संगठनों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा व्यापार विकास सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
- PMU, गैर काष्ठ वन उत्पाद गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बाहरी स्त्रोत के माध्यम से अस्थाई रूप से नियुक्त करेगा। जड़ीबूटी कोष्ठ में निदेशक, विपणन प्रबंधक, उद्यम विकास प्रबंधक, लेखा प्रशासन कार्यपालक तथा सूचना प्रणाली प्रबंधन, सहायक MIS, Associate होगा। PMU, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जरूरत पड़ने पर कभी भी विभिन्न विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

परियोजना प्रबंधन इकाई में जड़ीबूटी कोष्ठ की गतिविधियां

- जड़ी बूटी कोष्ठ समूह स्तर की हिम जड़ीबूटी सहकारी समितियां/उत्पादक समूह बनाएगा तथा उनको सुदृढ करने के लिए उतरदायी होगा। जड़ी बूटी की खेतीबाड़ी, सत्त दोहन के लिए उतरदायी होगा। गैर काष्ठ वन उत्पाद तथा औषधीय पौधों के दोहन के उपरान्त प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा। जड़ीबूटी कोष्ठ अपनी वार्षिक योजना बनाएगा और मासिक आधार पर प्रगति प्रतिवेदन PMU का प्रस्तुत करेगा।
- गैर काष्ठ वन उत्पाद उद्यम विकास के लिए ग्यारह समूहों को प्रस्तावित किया गया है। समूह में कितने गांव पड़ते हैं को जानने के लिए प्रत्येक समूह की समीक्षा की जाएगी। समूह परियोजना के सभी लक्षित जिलों में होगें। एक समूह में 10 से 20 तक ग्रामीण वन विकास समितियां हो सकती है। पौधरोपण के लिए लगभग 20 है0 वन भूमि/ 10 है0 गैर वन भूमि (निजीभूमि, सामुदायिक बंजर भूमि बगीचे सहित) ली जाएगी। एक समूह में अधिक भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित किए जाने के प्रयत्न किए जाऐंगे जिसमें ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वनभूमि में गैर काष्ठ वन ऊपज (NTFP) पौधरोपण की अधिक सम्भावना हो।
- समूह को अंन्तिम रूप दिए जाने के उपरान्त PMU, गैर काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) आंकलन के लिए HFRI, IHBT बाई0एस0 परमार विश्वविद्यालय नोणी जैसी संस्थाओं से प्रस्ताव का आग्रह करेगा तथा प्रस्तावों की समीक्षा के आधार पर NTFP आंकलन की सम्भावना तथा उत्पाद का आंकलन व संरक्षण करने के लिए योजना विकसित करके स्त्रोत विकास तथा NTFP के सतत् प्रबंधन तथा सुयोग्य संस्थानों को कार्य आंवटन के लिए वन विभाग के प्रतिनिधि (अनुसंधान शाखा आदि) दूसरी संस्थाओं/व्यक्तियों की PMU स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। प्रत्येक समूह का आंकलन एक माह के भीतर पूरा किया जाएगा। आंकलन तथा समुदायों तथा भागीदारों के साथ परामर्श के लिए प्रत्येक समूह में अनुसन्धानकर्ता/वैज्ञानिक एक क्षेत्रीय वनस्पति विशेषज्ञ और तीन समुदाय सुविधा प्रदान कर्ता नियुक्त किए जाऐंगे।
- स्थानीय समुदायों के निणर्य के अनुसार प्रत्येक समूह में एक समूह स्तर की हिम जड़ी बूटी सहकारी समिति बनाई जाएगी। अधिकार धारक/बर्तनदार, औषधीय पौधों के उत्पादक, स्वंय सहायता समूह, समान रूचि समूह तथा ग्रामीण वन विकास समिति, समिति/समूह के सदस्य होंगें। जड़ी बूटी कोष्ठ योजना तैयार करने में समूह समिति/उत्पादक समूह का मार्ग दर्शन करेगा विस्तृत गतिविधि योजना, औषधीय पौधों के अधीन लाए जाने वाले क्षेत्र, जंगल से इक्ट्ठा किए जाने वाले गैर काष्ठ वानिकी उत्पाद, अधिकार धारकों तथा उत्पादकों का प्रशिक्षण, गुणवता जुडाब, विपणन आदि कार्य करेगा।

- वार्षिक गतिविधि योजना तथा वित्त के आधार पर PMU की अनुशंसा के पश्चात् परियोजना समूह/समिति/उत्पादक समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। PMU की ओर से समूह समिति/उत्पादक समूह के कार्यों का अनुश्रवण जडीबूटी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।
- जड़ी बूटी प्रकोष्ठ/PMU इन संस्थाओं के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा।

जड़ी बूटी प्रकोष्ठ, समूह समितियों/उत्पादक समूहों तथा उत्पादक में से कुछ का संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, समान रूचि में से कुछ को समूहों की शिक्षा तथा आदान प्रदान के लिए आदर्श केन्द्र विकसित करने के प्रयत्न करेगा।

जडीबूटी प्रकोष्ठ PMU, PMC तथा DMU के साथ परामर्श करने के उपरान्त समूह समितियों/उत्पादक समूहों की उपलब्धि का आंकलन तथा उन्हें वित्तीय प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक तन्त्र पर विचार करेगा। आंकलन, स्थापना के तीन वर्षों के पश्चात् प्रारम्भ होगा जिसमें प्रेरणा स्वरूप प्रथम पुरस्कार के रूप में 2,00,000/–द्वितीय एक लाख तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000/– रूपये भारतीय मुद्रा में प्रदान किए जाऐंगे। मूल्यांकन, (अ) खेती के अधीन क्षेत्र, (आ) औषधीय पौधों की प्राप्ति के साथ गैरकाष्ठ आधारित वन उत्पाद (Non Timber Forest Produce) की मात्रा (इ) प्रबंधन तथा अभिलेख पालन, (Record Keeping) (ई) गतिविधि योजना के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन आदि पर आधरित होगा।

ठीक इसी प्रकार SHG/CIGs के कार्य प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए प्रतिवर्ष योजना के पांचवे वर्ष से एक तन्त्र विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिले से 2, और कुल 12 स्वंय सहायता समूह/समान रूचि समूह (SHG/CIGs) की पहचान की जाएगी तथा उन्हें 25,000/–भारतीय रूपए प्रदान किए जाऐंगे। सामान खरीद तथा विपणन के उद्देश्य से समूह, समितियां/उत्पादक समूह जडीबूटी कोष्ठ के साथ अधिक मिल कर काम करेंगे। प्रत्येक समूह समिति/उत्पादक समूह अपने कार्य क्षेत्र के गैर काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) तथा जडीबूटीयां की प्राप्ति तथा मूल्यवर्धन के लिए एक प्राप्ति योजना (Procurement Plan) तैयार करेगा। परियोजना द्वारा प्रत्येक समूह को गैर काष्ट वन उत्पाद (Non Timber Forest Produce) तथा औषधीय पौधे Medicinal Plants प्राप्ति/खरीद के लिए Revolving Fund के रूप में 10 लाख रूपये प्रदान किए जाऐंगे। पैसा दो भागों में दिया जाएगा, पहली किस्त PMU द्वारा व्यापारिक योजना के आधार पर अनुमोदित की जाएगी तथा दूसरी किस्त संचालक निकाय द्वारा निर्धारित पहले भाग के प्रभावी उपयोग पर आधारित होगी।

जड़ी बूटी प्रकोष्ठ विभिन्न NTFPS और औषधीय पौधों की पैदावार व बढावें के लिए क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रों की मदद से किये जाने वाले कार्यों का एक विवरण तैयार करेंगें जिसमें लोगों द्वारा NTFPS और औषधीय पौधों के लिए बेहतर तरीकों/ मापदण्ड तथा क्रियाओं का (Package of practices) वर्णन रहेगा।

विपणन अनुसंधान तथा प्रचार के अन्तर्गत, जड़ीबूटी प्रकोष्ठ विपणन मण्ड़ियों में विभिन्नउत्पादों की मांग तथा कार्यक्षेत्र में विपणन सर्वेक्षण के अनुसार विपणन की सम्भावनाएं तलाशनें के लिए समय–समय पर सर्वेक्षण करवाऐंगे। प्रचलन तथा गतिविज्ञान (Trend and dynamics) को समझने के लिए जड़ी बूटी प्रकोष्ठ भागी दारियों की विस्तृत श्रृंखला, औषधीय संस्थाओं, निर्यातकों, संसाधन उद्योगों (Processing Industries)] जड़ी बूटी मण्डियों/प्रांगाणों तथा व्यापारियों आदि के लगातार सम्पर्क में रहेगा। प्रभावी तथा कार्य कुशल ढंग से कार्य करने के लिए PMU, जड़ी बूटी प्रकोष्ठ को सशक्त करने के उदेश्य से

पर्याप्त कदम उठाएगा। प्रकोष्ठ, PMU के साथ परामर्श कर के युक्ति पूर्ण योजना तैयार करेगा तथा उसे PMU के मार्गदर्शन में कार्यान्वित करेगा। जड़ी बूटी प्रकोष्ठ/PMU राज्य स्तर पर समय–समय पर नियोजन,समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा जिसमें परियोजना कर्मचारी समूह/समिति उत्पादक समूहों के प्रमुख, DMU के प्रतिनिधि तथा दूसरे भागीदार योजना में शामिल होंगें तथा जो मदों तथा प्राथमिकताओं की पहचान के अनुसार उपाय तथा कार्ययोजन विकसित करेगें।

जड़ी बूटी प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात NTFP प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, समूह की समितियों का संस्थागत विकास तथा समूह की समितियों के नेतृत्व के जागरूकता भ्रमण (Exposure visits) का आयोजन करेगा। जड़ी बूटी प्रकोष्ठ तथा DMU द्वारा समूह स्तरपर (प्रत्येक समूह के लिए) प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे।

घटक 1 सतत वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन के लक्ष्य

1 सहभागी वन प्रबंधन प्रणाली (PFM Mode)	
सूक्ष्म योजना बनाना	400 योजनाऐं
कम घनें जंगलों का सुधार (कृत्रिम प्राकृतिक उत्पादन मूल स्थान पर मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य)	1322 है0
खुले/झाड़ीदार वनों का सुधार (मूल स्थान पर मृदा तथा नमी सरंक्षण कार्य) के साथ खण्ड पौधारोपण)	1722 है0
तेजी से फैलने वाली/खरपतवार प्रजातियों का उनमूल्न	161 है0
चरागाह तथा घासनियों का सुधार (मूल स्थान पर मृदा तथा नमी सरंक्षण कार्य)	360 है0
वन क्षेत्रों के बाहर वानिकी कार्य	340 है0
ग्रामीण वन विकास समितियों का प्रशिक्षण	400 है0
2 विभागीय प्रणाली	
वर्तमान जंगलों के सुधार के लिए उपचार कार्य	1000 है0
सामान्य रूप से संघन जंगलों का सुधार /संघनीकरण	2326 है0
वनीकरण / खुले /झाड़ीनुमा जंगलों का सुधार	2139 है0
चरागाह/ घासनियों का सुधार	242 है0
पौधशालाओं का सुधार	61 पौधशालाऐं

घटक 2 जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्य

1 वैज्ञानिक जैव विविधता प्रबन्धन	
त्वरित उत्तरदायी टुकड़ी	16 इकाईयां
जैव विविधता गलियारे पर पायलट योजना	1 समय
जैव विविधता जनगणना को डिजायन करने के लिए बुनियादी अध्ययन।	1 समय
2 समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबन्धन	
सुक्ष्म योजना तैयार करना	60 योजनाऐं
समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबन्धन	60 जैव विविधता प्रबन्धन समिति (BMC) उप समिति
SATOYAMA आधारित जैव विविधता संरक्षण	60 जैव विविधता प्रबन्धन समिति (BMC) उप समिति
BMC उप समितियों का प्रषिक्षण	60 जैव विविधता प्रबन्धन समिति (BMC) उप समिति

घटक 3: आजीविका सुधार सहायता

1 सामुदायिक विकास	
सामुदायिक विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन	400 VFDS तथा 60 BMC उप समितियां
सामुदायिक विकास हेतू प्रशिक्षण क्रार्यक्रम	400 VFDS तथा 60 BMC उप समितियां
जल में उत्पन्न चारा हेतु पायलट योजना	1 बार
2 NTFP आधारित आजीविका सुधार	
जड़ी बूटी समिति की स्थापना	1 इकाई
समूहों की पहचान	11 समूह
NTFP ऑकलन	11 ऑकलन
3 गैर काष्ठ वन उत्पाद आधारित आजीविका सुधार	
गृह समुदाय /स्तर की आजीविका सुधार गतिविधियों का सुधार	920 स्वंय सहायतासमूह /समान रूचि समूह
कर्मचारियों तथा SHGs/ CIGs का प्रशिक्षण	920 स्वंय सहायतासमूह /समान रूचि समूह (SHGs/ CIGs)

पौधशाला (प्रबन्धन) सुधार

लक्षित वन परिक्षेत्रों में पौधशाला उगाने तथा कार्यकलाप सम्बन्धी क्षमता बढ़ाने के लिए पौधशालाओं का उन्नयन किया जाएगा। परियोजना में वनपरिक्षेत्र स्तर की 51 तथा वृत स्तर की 7 पौधशालाऐं सुधारी जाएगी। वृत स्तर की पौधशालाओं को पौध उत्पादन में एक उदाहरण के उदेश्य से बनाया जाएगा जिसे यथासम्भव सम्पूर्ण राज्य में दोहराया जाएगा।

JICA परियोजना के अर्न्तगत जोगिन्द्रनगर परिक्षेत्र के अधिन चौंतड़ा वन पौधशाला

वृत स्तरीय तथा परिक्षेत्र स्तरीय उन्नत की जाने वाली पौधशालाओं का विवरण निम्न है :–

पदोन्नत की जाने वाली वृतस्तरीय पौधशालाओं का विवरण

गतिविधि	विवरण	
उत्पादन क्षमता में वृद्वि	2,00,000 पौधे प्रतिवर्ष प्रति पौधशाला	
बांछित क्षेत्रफल	उत्पादन क्षेत्र 0.70 है0 अन्य कार्य के लिए 0.70 है0	
सामान्य उपयोग सुविधा	बाड बन्दी RCC खम्वों के साथ–साथ तारबाड़	कुआं
	कार्यालय एंव माली कुटीर	पाईप द्वारा पानी लाने का तन्त्र
	भण्डारण एंव प्रयोगशाला	देसी खाद, पौधशाला उगाने से सम्बन्धित दूसरा जरूरी सामान, बेकार सामग्री, Root Trainers इत्यादि के भण्डारण के लिए शैड का निर्माण।
	सीमेंट बजरी की सड़क	
	$4m^3$ टैंक तथा पम्प घर, पम्प संचालन गृह	
पौध उत्पादनसुविधा	निरीक्षण रास्ते और नाली के साथ पौधशाला क्यारियां	रूट Trainer पौधों के लिए दृढ़ीकरण प्रांगण
	पौधशाला क्यारियों के लिए Agro Netshed	निरोपण सुविधा तथा पौधशाला क्यारी के लिए भूखण्ड
	Mist Chamber	केंचुआ खाद के लिए गढ्डा
	Seed treatment सुविधाओं सहित सुखाने का प्रांगण	अन्य विविध सुविधाऐं तथा उपकरण
	Root trainer तथा Trainer stand	

पदोन्नत की जाने वाली परिक्षेत्र स्तरीय पौधशालाओं का विवरण

गतिविधि	विवरण
उत्पादन क्षमता में वृद्वि	40000 पौध प्रति वर्ष प्रति पौधशाला
बांछित क्षेत्र	सांकेतिक उत्पादन क्षमता क्षेत्र = 0.20 है0 कुल नर्सरी क्षेत्र = 0.40 है0
सामान्य उपयोग सुविधा	कार्यालय एंव भण्डारण कक्ष
	पानी की नालियां एवं निकासी सुविधा
	देसी खाद, पौधशाला उगाने से सम्बन्धित दूसरा जरूरी सामान, बेकार सामाग्री, Root Trainers इत्यादि के भण्डारण के लिए शैड का निर्माण।
पौध उत्पादन सुविधा	पौधशाला क्यारियों में निरीक्षण मार्ग तथा जल निकासी प्रबंधन का होना
	पौधाशाला क्यारियों के लिए Agro Netshed का प्रावधान
	पैराबोलिक (Parabolic) छत वाला Poly House का प्रावधान
	अन्य विविध सुविधाएं तथा उपकरण जो जरूरी हैं

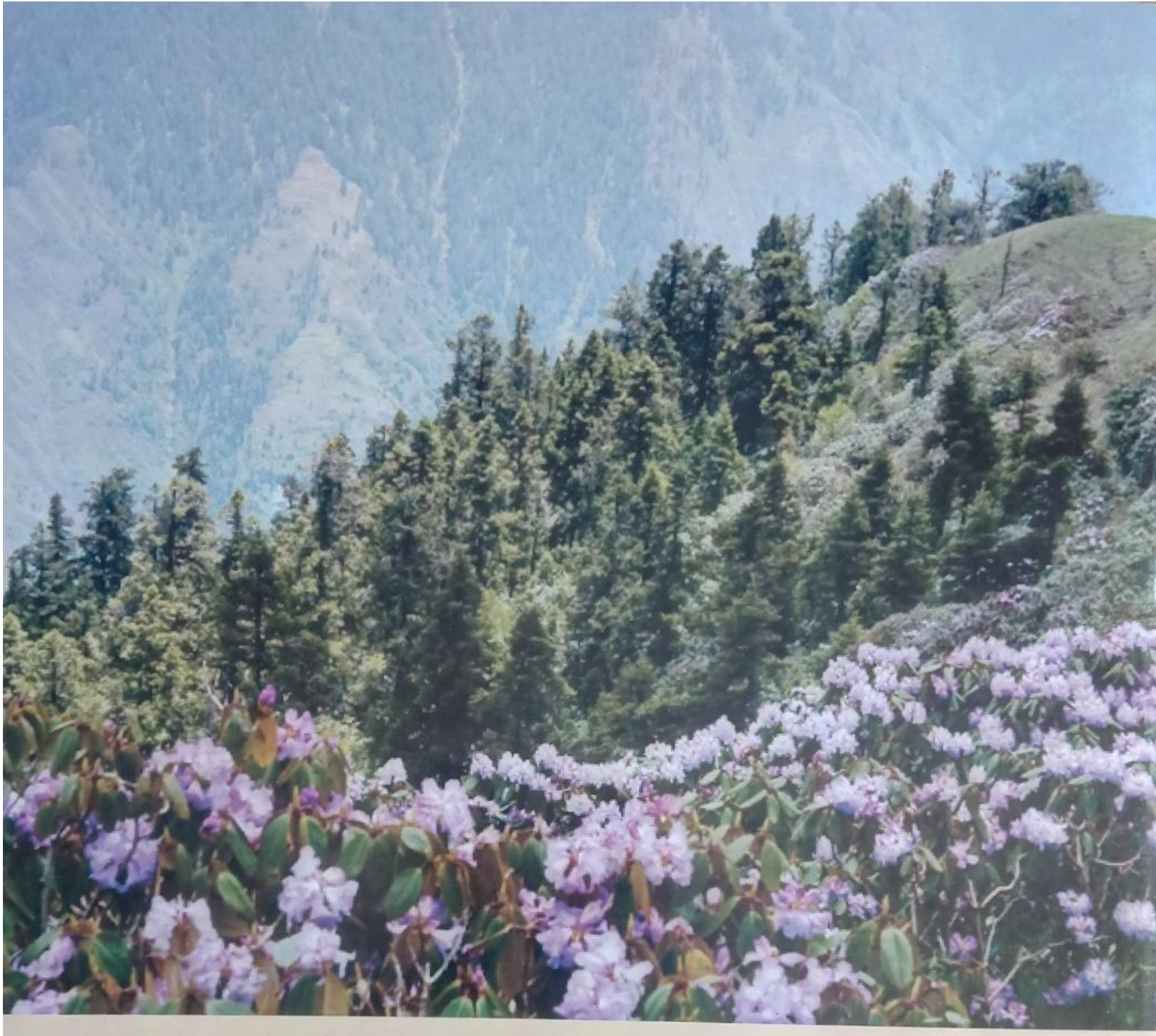

सम्पर्क कार्यालय:

1 **मुख्य परियोजना निदेशक**
जाईका वानिकी परियोजना, पॉटर्स हिल, समरहिल, शिमला–5, हिमाचल प्रदेश
दूरभाषः 0177–2830217, ई0 मेल :– cpdjica2018hpfd@gmail.com

2 **परियोजना निदेशक**
जाईका वानिकी परियोजना, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
दूरभाषः– 01902–226636, ई0 मेल :– pdjicakullu@gmail.com

3 **उप–परियोजना निदेशक**
जाईका वानिकी परियोजना, रामपुर, हिमाचल प्रदेश
दूरभाषः– 01782–234689, ई0 मेल :– dpdrmp2018@gmail.com